भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3454

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

पुरानी पेंशन योजना को लागू करना

3454. श्री अमरा राम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा है और यदि हां, तो सरकार का इस योजना को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना की राशि उन राज्यों को वापस करने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है और इन राज्यों द्वारा सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है और यह राशि राज्यों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकारी राजकोष पर अस्थिर राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था।

(ख) और (ग): जिन राज्य सरकारों ने सरकार/पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित किया है उनका दिनांक 31.07.2025 तक एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**पेंशन निधि की राशि (करोड़ रुपये में)**
1.	छत्तीसगढ़	22,499.80
2.	हिमाचल प्रदेश	11,111.93
3.	झारखंड	14,368.67
4.	पंजाब	31,960.43
5.	राजस्थान	50,884.11

पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) विनियम, 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाताओं की संचित राशि को राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सके।

*****